प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दोषमुक्ति अपील संख्या 64/2016

निर्णय सुरक्षित किया गया : 22.07.2025

निर्णय पारित किया गया :05.08.2025

छत्तीसगढ़ राज्य, प्रभारी पुलिस थाना दरभा के द्वारा, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़ ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. मुचाकी देव, पिता मुचाकी पिंडे, 38 वर्ष, निवासी ग्राम भारद्रिमाहू पटेल कंडिका , पुलिस थाना दरभा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़

2. विज्जा पोडयामी, पिता हांडो पोडयामी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम भर्डरीमहू पटेल पारा, थाना दरभा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :		श्री दीपक कुमार सिंह, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी हेतु :		सुश्री अनुश्री राजपूत, अधिवक्ता तथा सुश्री ईशा खंडेलवाल, अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय एस. अग्रवाल,न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री राधाकिशन अग्रवाल,न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

राधाकिशन अग्रवाल, न्यायाधीश के अनुसार

1. राज्य/अपीलकर्ता द्वारा दायर यह दोषमुक्ति अपील विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1989') बस्तर थाना जगदलपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 108/2015 में दिनांक 10.02.2016 को पारित निर्णय से उत्पन्न हुई है,

जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(3)(5) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1908') की धारा 4 और 5 के तहत आरोपियों/उत्तरवादी को आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 10.09.2015 को सुबह लगभग 4:30 बजे, पुलिस थाना दरभा के थाना प्रभारी पुलिस कर्मचारी और एसटीएफ की एक गश्ती दल के साथ फरार अभियुक्त की तलाश में कोलेंग, चांदामोटा और बदंगपाल क्षेत्रों की ओर बढ़े।14.09.2015 को गश्त से लौटते समय, दल को भदरीमहू गाँव के पास झाड़ियों के पीछे छिपे दो व्यक्ति मिले।उन्हें पकड़ लिया गया और पूछताछ करने पर, अभियुक्तों ने बताया कि वे प्रतिबंधित माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं।उत्तरवादी क्रमांक 1– मुचाकी देवा द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, एक टिफिन बम, बैटरियाँ और तार, प्र.पी–4 के अनुसार बरामद किए गए।अभियुक्त/उत्तरवादी क्रमांक 2– विज्जा पोडियामी का ज्ञापन कथन प्र.पी–6 के अनुसार दर्ज किया गया, जिसके अनुसार, भद्रिमाहू गाँव में उसके घर के पिछवाड़े से एक टिफिन बम बरामद किया गया और उसे प्र.पी–5 के अनुसार जब्त कर लिया गया था।इसके बाद, प्र.पी.–13 के तहत एक देहाती नालिसी और प्र.पी.–15 के तहत एक घटनास्थल मानचित्र तैयार किया गया।इसके बाद, अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–9) दर्ज की गई और उन्हें क्रमशः प्र.पी.–7 और प्र.पी.–8 के तहत अभिरक्षा में ले लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.अन्वेषण के दौरान, दण्ड प्रकिया संहिता कि धारा 161 के तहत साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए।सादे और विस्फोट स्थल से मिट्टी के नमूने प्ररूप पी–3 के अनुसार एकत्र किए गए और रासायनिक विश्लेषण के लिए एफएसएल रायपुर भेजे गए।अन्वेषण पूरी होने के बाद, संबंधित विचारण न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।अभियुक्तों ने अपने अपराध से इनकार किया तथा विचारण हेतु प्रार्थना की।

4. अभियोजन पक्ष ने अपराध को पुष्ट करने के लिए अपने मामले के समर्थन में 10 साक्षीयों से परीक्षा की और अभियुक्तों को संबंधित अपराध से जोड़ने वाले 19 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए।हालाँकि, अपने बचाव में, अभियुक्तों ने किसी भी साक्षी से परीक्षा नहीं किया, बल्कि चार दस्तावेज़, अर्थात् डी–1 से डी–4, प्रस्तुत किए।

5. विचारण न्यायालय , पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने के पश्चात्,आक्षेपित निर्णय द्वारा बरी किए जाने के पश्चात् , अभियुक्त व्यक्तियों/प्रत्यर्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए उक्त आरोपों के बारे में बताता है।

6. अपीलकर्ता/राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विस्फोटक सामग्री की जब्ती और आरोपियों से उनके संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/उत्तरवादी को दोषमुक्त करने में गलती की है, जो कि पीडब्लू–4 तालेस्फोर मिंज, पीडब्लू–5 निर्मल कुमार और पीडब्लू–10 दुर्गेश कुमार शर्मा, जांच अधिकारी के बयानों से भी स्पष्ट है।इसलिए, दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय विकृति तथा अवैधता से ग्रस्त है तथा इसे अपास्त किये जाने योग्य है।

7. दूसरी ओर, अभियुक्तगण/उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा प्रस्तुत किया कि अ.सा.–4 तालेस्फोर मिंज, अ.सा.–5 निर्मल कुमार तथा अ.सा.–10 दुर्गेश कुमार शर्मा, अन्वेषण

अधिकारी के बयानों में भौतिक विरोधाभास तथा चूक हैं तथा उनके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान और आक्षेपित निर्णय पारित करने से पहले एफएसएल रिपोर्ट को अभिलेख में नहीं लाया गया है।उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष उत्तरवादी के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, अभियुक्तों/उत्तरवादी को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।अतः, राज्य/अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है।

8. हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया है।

9. (2022) 8 एस. सी. सी. 440 में रिपोर्ट किए गए जाफरुद्दीन तथा अन्य बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति जाने के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश पर विचार किया है, जो निम्नानुसार हैः---

25. सीआरपीसी कि धारा 378 के तहत दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को यह विचार करना होता है कि क्या विचारण न्यायालय के निर्णय को संभावित माना जा सकता है, विशेषकर तब जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया गया है।इसका कारण यह है कि दोषमुक्ति का आदेश अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा को बढ़ाता है।इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्त करने वाले विचारण न्यायालय के आदेश को पलटने में अपेक्षाकृत धीमी गति से काम करना पड़ता है।अतः , अभियुक्त के पक्ष में धारणा कमज़ोर नहीं होती है, बल्कि और मज़बूत होती है।अभियुक्त के पक्ष में बनी ऐसी दोहरी धारणा को केवल स्वीकृत विधिक मानदंडों पर गहन जाँच करके ही तोड़ा जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अब प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा उत्तरवादीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करना न्यायोचित है?

11. अ.सा.-10 दुर्गेश कुमार शर्मा, अन्वेषण अधिकारी ने बताया कि दिनांक 14.09.2015 को गश्त से लौटते समय उन्होंने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर गांव भदरीमहू के पास झाड़ियों के पीछे छिपे दो व्यक्तियों को देखा और उसके बाद उन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया।उन्होंने आगे कहा है कि उत्तरवादी सं 1-मुचाकी देवा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, उन्होंने अपने कहने पर एक टिफिन-बम, बैटरी तथा तार बरामद किए। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अभियुक्त/उत्तरवादी संख्या 2 - विज्जा पोडयामी का मौके पर ही ज्ञापन बयान दर्ज किया था, जिसके अनुसरण में, भद्रिमाहू गांव में उनके घर के पिछवाड़े से एक टिफिन बम बरामद किया गया था और फुटपाथ के पास बैठकर सभी कागजी कार्यवाही की थी।हालांकि, इसके विपरीत, पीडब्लू-4 तालेस्फोर मिंज, प्रधान सिपाही और पीडब्लू-5 निर्मल ठाकुर, सिपाही, तलाशी दल के सदस्य और जब्ती और ज्ञापन की कथित कार्यवाही के साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि कथित जब्ती और ज्ञापन की सभी कागजी कार्यवाही पुलिस थाना में तैयार की गई थी और सभी संबंधित दस्तावेजों पर उनके द्वारा पुलिस थाना में ही हस्ताक्षर किए गए थे, न कि घटनास्थल पर।ये विरोधाभासी बयान जब्ती की कार्यवाही की

वास्तविकता तथा वैधता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं।इसके अलावा, पीडब्लू–10 दुर्गेश कुमार शर्मा ने कहा है कि टिफिन बम उस स्थान पर लगाया गया था जहाँ से अभियुक्तों को पकड़ा गया था, लेकिन इसके विपरीत, पीडब्लू–5 निर्मल कुमार ने कहा है कि टिफिन बम अभियुक्तों को पकड़े जाने वाले स्थान से लगभग 1 किमी आगे सड़क पर लगाया गया था, जबकि पीडब्लू–4 तालेस्फोर मिंज ने कहा है कि बैटरी तार सहित टिफिन बम सड़क पर 15–20 मीटर आगे स्थित एक गड्ढे से बरामद किया गया था।ये विरोधाभासी बयान अभियुक्त व्यक्तियों से अभिकथित वस्तुओं की जब्ती के सटीक स्थान के बारे में भी गंभीर संदेह पैदा करते हैं।इसके अलावा, जब्ती ज्ञापन (एक्स पी–4 और एक्स पी–5) यह नहीं दर्शाते हैं कि वास्तव में किस तरीके से या कहाँ से अभिकथित सामान बरामद किए गए थे।उपरोक्त के अतिरिक्त, प्र.पी.–2 के अनुसार, कथित जब्त विस्फोटक सामग्री को बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) की सहायता से नष्ट कर दिया गया था और विस्फोट स्थल से सादे और मिट्टी के नमूने प्र.पी.–3 के अनुसार एकत्र किए गए थे और उसके बाद रासायनिक विश्लेषण के लिए एफएसएल रायपुर भेजे गए थे। हालाँकि, परीक्षण के दौरान, अभियोजन पक्ष द्वारा एफएसएल रिपोर्ट न तो प्रस्तुत की गई और न ही प्रदर्शित की गई।इसलिए, यह विचारण उन दस्तावेज का संज्ञान नहीं ले सकता है जो विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा साबित तथा प्रदर्शित नहीं किए गए थे।अतः अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि जब्त किए गए पदार्थ/मिट्टी के नमूने, जिनमें सादी मिट्टी और विस्फोट स्थल से एकत्रित मिट्टी शामिल है, में कोई विस्फोटक पदार्थ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस प्रकार, अभिलेख पर लाए गए उपरोक्त साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पी. डब्ल्यू–10 दुर्गेश कुमार शर्मा, अन्वेषण अधिकारी के बयान में बड़े विरोधाभास और चूक हैं और उनका बयान पी. डब्ल्यू–4 तालेशपुर मिंज और पी. डब्ल्यू–5 निर्मल कुमार, जो तलाशी दल के सदस्य होने के साथ–साथ कथित जब्ती और ज्ञापन कार्यवाही के साक्षी भी थे, के बयानों से मेल नहीं खाता है और उनका (पी. डब्ल्यू–10) बयान भी तलाशी, जब्ती और अन्वेषण के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से मेल नहीं खाता है, जिससे उनका बयान संदिग्ध और अविश्वसनीय हो जाता है।इसके अलावा, अभियुक्तों/उत्तरवादी की संबंधित अपराध में संलिप्तता दर्शाने के लिए कोई ठोस और निर्णायक साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।यदि अभियोजन पक्ष के मामले को उसके वास्तविक रूप में लिया जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला संदेह पर आधारित था, तथापि, संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है।

13. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विस्तृत चर्चा की है तथा सम्पूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभिलेख पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण/उत्तरवादीगण के पास सुसंगत समय पर विस्फोटक सामग्री थी तथा अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि जब्त किया गया पदार्थ विस्फोटक पदार्थ था, अतः अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण/उत्तरवादी को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

14. अभिलेख मे उपलब्ध सामग्री तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत निर्णय पर विचार करने के पश्चात्, हमारा विचार है कि उपरोक्त आरोपों से अभियुक्तों/उत्तरवादी को दोषमुक्त करने वाला निर्णय न्यायसंगत एवं उचित है तथा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

15. तदनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों/उत्तरवादी को दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध अपीलार्थी/राज्य की यह दोषमुक्ति की अपील एतद्द्वारा खारिज कर दी जाती है।

सही/–
(संजय एस. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur